न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–63 / 2018
पवन कुमार मिश्र बनाम बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
13.07.2018	आदेश आवेदक पवन कुमार मिश्र, पिता–स्व0 भुल्लर मिश्र, ग्राम–रसियारी, थाना–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा की ओर से घनश्यामपुर थाना कांड संख्या–151 / 17 में उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटर साईकिल होण्डा ड्रीम नियो निबंधन सं0–**BR07Y-9998** के विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालया, पटना मे दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–4102 / 18 में दिनांक 06.03.18 को पारित आदेश की प्रति के साथ आवेदन पत्र दाखिल किया गया है, का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त पाया गया कि उक्त थाना कांड में जब्त वाहन का राज्यसात् हेतु प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से अप्राप्त है, जबकि जब्ती के बाद अविलम्ब वाहन को राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया जाना चाहिये। इस हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से प्रस्ताव एवं दोषी पदाधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी। तत्पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 953 / सी0आर0 (विविध) दिनांक 12.06.18 से उक्त थाना कांड में जब्त वाहन **BR07Y-9998** को राज्यसात् प्रस्ताव प्राप्त है। प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न प्राथमिकी / जब्ती सूची / पर्यवेक्षण टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में किया गया है। चूँकि उक्त वाहन के विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–4102 / 18 में दिनांक 06.03.18 को आदेश पारित है। इसलिए राज्यसात् की कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है। इसी क्रम में आवेदक की ओर से उक्त जब्त वाहन की विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 06.03. 2018 के आलोक में बंध पत्र, शपथ पत्र तथा दो प्रतिभूति क्रमशः (1) हरिशंकर झा, पिता–भोला झा, ग्राम–रसियारी, थाना–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा का केवाला संख्या–7188 दिनांक 12.08.16 1.53 डिसिमल यानी 7 धुर भूमि, थाना नं0–402, तौजी–6424, खाता–209 पु0, 315 नया, खेसरा संख्या–1991 पु0, 3862 नया, तथा मूल्य 70,000/- (सत्तर हजार) रुपये मात्र (2) शंकर कुमार, पिता–देवचन्द्र झा, ग्राम–रसियारी, अंचल–किरतपुर, थाना–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा का वाहन पंजीयन संख्या–**BR07AB-5520** होण्डा शाईन, कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–53,482/- (तिरपन हजार चार सौ बेरासी) रुपये मात्र का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का मूल्य मो0–40,000/- (चालीस हजार) रुपये आकलन	